उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु सुझाव

विशेषताएँः–

- लचीलापन लाना (व्यावहारिक सुगमतापूर्ण)
- स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों की योजना बनाना
- किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश लेने सम्बन्धी विकल्प
- बहुविषयक दृष्टिकोण
- विभिन्न कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना
- क्रेडिट की हस्तांतरणीयता
- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए बी सी)

स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों की समेकित संरचना

- इस आलेख में कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कानून और कृषि के संकाय सम्मिलित हैं। इन संकायों की समस्त उपाधियाँ (डिग्रियाँ) इस संरचना में सम्मिलित हैं। जैसे– बी.ए., बी.एससी., बी. एससी. (कृषि), बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.ए.एल.एल.बी., बी.ए.बी.एड. आदि। एम.ए., एम.एससी. एम.एससी. (कृषि) एम. कॉम, एम.बी.ए., एल.एल.एम, एम.एड. आदि। यह संरचना इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और अन्य राज्य / राष्ट्रीय नियामक निकायों द्वारा विनियमित अन्य तकनीकी विषयों को सम्मिलित नहीं करती है।

- छात्रों का लक्षित आयु समूह 18–23 वर्ष है, लेकिन यह जीवन में किसी भी आयु में किसी भी आग्रही व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करती है।

- 12 वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा कार्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक छात्र को प्रथम वर्ष के लिए दो मुख्य (Major) विषयों के साथ एक संकाय का चुनाव करना होगा। इस चुनाव के लिए संकाय विशेष के सन्दर्भ में पूर्व पात्रता (pre-requisites) की आवश्यकता होगी। दो प्रमुख विषयों के अलावा उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर में किसी भी अन्य संकाय के एक और मुख्य (Major) विषय का चुनाव करना होगा। इसके साथ ही एक गौण विषय किसी अन्य संकाय से, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम अपनी अभिरूचि के अनुसार तथा एक आवश्यक सह–शैक्षणिक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा। स्नातक कार्यक्रम के पहले तीन वर्षों में 06 सह–शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने हैं जो कि प्रत्येक 02 क्रेडिट के होंगे । यह पाठ्यक्रम सभी स्नातक के छात्रों के लिए उपलब्ध एवं अनिवार्य होंगे। इन सह–शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा ओ0एम0आर0 शीट द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगी।

पाठ्य–सामग्री (Syllabus)

- सभी कार्यक्रमों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक विषय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एक सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम (Common Minimum Syllabus) होगा ।
- विश्वविद्यालयों में पाठ्य समितियों (Boards of Studies) को इस सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम 70% के साथ अपना पाठ्यक्रम (Syllabus) विकसित करना होगा। अधिकतम की कोई सीमा नहीं हैं।

- आगे आने वाले सेमेस्टर में प्रश्न–पत्रों का पाठ्यक्रम (Syllabus) उत्तरोत्तर जटिल एवं अनंत सम्भावना युक्त होना चाहिए।
- सभी सेमेस्टर में प्रश्न–पत्रों के शीर्षक व कार्यक्रम संरचना सभी कक्षाओं/वर्षों में, समस्त विश्वविद्यालयों में समान होगा। यह प्रक्रिया विश्वविद्यालयों के मध्य एकरूपता और सुचारु स्थानांतरण के लिए है।

च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS)

- एक सेमेस्टर में कम से कम 15 सप्ताह होंगे, जिसमें कम से कम 90 शिक्षण दिवस होंगे।
- एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घन्टे के व्याख्यान (प्रायोगिक कार्य के लिए 2 घण्टे) के बराबर है, यथा– चार क्रेडिट का पाठ्यक्रम एक सेमेस्टर में कुल 60 घण्टे के व्याख्यान के बराबर होगा। जैसा कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद द्वारा तय किया जायेगा, प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत होगा।
- उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय से उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय को क्रेडिट के हस्तांतरण की अनुमति अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए बी सी) में माध्यम से दी जायेगी, जिसे प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने डाटा सेन्टर द्वारा प्रबंधित करेगा।
- साधारणतया पेपर उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक होंगे तथा वर्षोपरान्त उपाधि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट होंगे। जैसे कि एक वर्षीय सर्टिफिकेट के लिए न्यूनतम 46 क्रेडिट, दो वर्षीय डिपलोमा के लिए न्यूनतम 92 क्रेडिट तथा स्नातक डिग्री के लिए 138 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। ऐसे ही आगे के वर्षो के लिए तालिका में निर्धारण दिया हुआ है।
- कुल मूल्यांकन = 75% बाह्य (विश्वविद्यालय परीक्षा द्वारा)+25% आन्तरिक (सतत् मूल्यांकन)।
- वर्ष के अन्त में परिणाम मेजर, माइनर, वोकेशनल व को–करिकुलर सभी प्रकार के कोर्स पर आधारित होगा। सभी प्रकार के कोर्सेस को उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा अंतिम परिणाम जो कि CGPA के रूप में होगा, सभी कोर्सस में अर्जित ग्रेडस पर निर्भर करेगा। किन्तु, वर्ष के अन्त में उपाधि हेतु कुल अर्जित क्रेडिट में कुछ क्रेडिट की छूट होगी।